कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.09.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–33 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विवेक सिंह पुत्र कपिल देव सिंह नि0 मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. किसुन लाल पुत्र छाडू कोरी नि0 मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाईकिल प्लेटिना यूपी0 43 क्यू0 5344 बरामद कर मु0अ0सं0–283/20, धारा 60/72 आबकारी अधि0 व 207 ए0वी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. हीरा लाल सोनकर पुत्र जनक प्रसाद नि0 बसंतपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–327/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पुनवासी पुत्र राम लाल निशाद नि0 कल्यानपुर जोखन सिंह पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–402/20, 02. लालता प्रसाद पुत्र ब्रह्म नि0 तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–403/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिव कुमार पुत्र राघव राम नि0 लीला बभनी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–397/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने गस्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त शेष नरायन गौतम पुत्र राम नाथ गौतम नि0 मोकलपुर डीहा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0–721/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त विक्रम पुत्र जोखनभर नि0 कौव्वागण थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे में मु0अ0सं0–240/20, धारा 376 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में महिला के ससुर द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खोड़ारे पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त विजय चौहान पुत्र नौगीर नि0 हरदौनी सहदेवडीह कूकनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे में पंजीकृत मु0अ0सं0–141/20, धारा 380.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 18.09.2020 को वादी शिवनरायण पुत्र झब्बर चौहान नि0 हरदौनी सहदेवडीह कूकनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के घर में घुसकर नकदी व जेवरात चोरी कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खोड़ारे में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खोड़ारे पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद सोने की लाकेट, 01 अदद मोबाइल व 5500/– रू0 नगद बरामद कर लिया गया। अभियुक्त को थाना खोड़ारे में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अपहरण कर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मोहित दुबे पुत्र पवन कुमार दुबे नि0 चहालवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–58/20, धारा 376.363.366 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीडिता की माता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके गांव से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबलिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना मोतीगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के वांछित अभियुक्त सुशान्त कुमार पुत्र नरेश चन्द्र नि0 ग्राम पूरे कोड़री मौजा भोरहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को थाना मोतीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–214/20, धारा 354क, 354ग,352.504.506.376.511 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट व 67 आई0टी0एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबलिग लड़की की नहाते हुए अश्लील फोटो खीचकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, लड़की द्वारा विरोध करने पर गाली–गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी दी थी तथा फेसबुक पर लड़की की अश्लील फोटो वायरल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना मोतीगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मोतीगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विन्देश्वरी उर्फ बच्चू पुत्र रामछवि नि0 भदैया गन्नापुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–230/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 20.09.2020 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 राजकुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को सेलहरी मण्डफ रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राजकुमार।
02. का0 मणिकान्त उपाध्याय।
03. का0 जीतेन्द्र प्रताप सिंह।